© AJH 2023 | Vol. – 5, Issues – 1, January To March 2023
ANSH – Journal of History
ISSN (Online) No. 2582 -046X
Peer-Reviewed, Refereed & Open-Access International Journal of History

ओरण भूमि का ऐतिहासिक महत्व और ओरण बचाओ आंदोलन

Dr. Shesh Karan Charan; HOD & Assistant Professor, Department of History,
Government Arts College, Vav (Banaskantha)

सारांश :

ओरण भूमि राजस्थान और अन्य मरूस्थलीय क्षेत्रों में प्राचीन काल से सामुदायिक और पर्यावरणीय संरक्षण की परंपरा का प्रतीक रही है। यह भूमि देवी-देवताओं को समर्पित करके संरक्षित की जाती थी और इसे कृषि, निर्माण या लकड़ी काटने के लिए नहीं उपयोग किया जाता। ओरण भूमि न केवल पशु-पक्षियों और वन्यजीवों के लिए चारागाह प्रदान करती है, बल्कि औषधीय और लघु वनस्पतियों का संरक्षण कर जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।

ओरण भूमि का ऐतिहासिक महत्व ग्रामीण जीवन, आत्मनिर्भरता, जल संरक्षण और आर्थिक स्थिरता से भी जुड़ा है। वर्तमान समय में अवैध कटाई, अतिक्रमण और विकास परियोजनाओं के कारण ओरण भूमि को संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमियों द्वारा ओरण बचाओ आंदोलन शुरू किया गया, जिसने पारंपरिक आस्था, सामाजिक भागीदारी और सरकारी सहयोग के माध्यम से इस पवित्र भूमि के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।ओरण भूमि केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय धरोहर है, जो ग्रामीण समाज, वन्यजीव और भविष्य की पीढ़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मुख्य शब्द : *ओरण भूमि, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, ग्रामीण आत्मनिर्भरता, लोक आस्था, देवभूमि, ओरण बचाओ आंदोलन*

ओरण क्या है?

ओरण का अर्थ है संरक्षित भूमि। यह ऐसी भूमि है जिसे चारागाह के लिए छोड़ा गया होता है और जिस पर घर बनाना या खेती करना निषिद्ध है। यह भूमि आमतौर पर देवी-देवताओं के नाम से समर्पित की जाती है। इसका उपयोग मुख्यतः पशु-पक्षियों के चरागाह के रूप में होता है। ओरण को स्थानीय भाषाओं में ओण, ओवण, ओरांस आदि नामों से भी जाना जाता है।

ओरण भूमि क्या है?

ओरण भूमि वह है जिसे ग्रामीणों द्वारा लोक कल्याण और देवी-देवताओं की श्रद्धा के लिए संकल्पित किया गया है। इस भूमि पर:

- खेती, घर निर्माण या लकड़ी उठाना निषिद्ध है।
- वनस्पतियों और जंगल को पूरी तरह से संरक्षित रखा जाता है।
- यहाँ विचरण करने वाले पशु-पक्षियों का शिकार भी वर्जित है।

ओरण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'अरण्य' शब्द से मानी जाती है। राजस्थान में सपाट भूमि को 'रण' कहा जाता है, इसलिए ऐसा मानना है कि यह भूमि 'ओम् रण' से अपभ्रंश होकर ओरण कहलायी।

ओरण भूमि का महत्व -

सदियों से देवी-देवताओं को समर्पित कर ओरण के लिए भूमि को चारागाह के रुप में संरक्षित किए जाने की परंपरा चली आ रही हैं। ओरण भूमि का उपयोग सार्वजनिक होने के साथ ही वन्यजीव के लिए होने के कारण यह मरुभूमी कि प्राकृतिक, भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को सुदृढ़ करने में अपनी महती भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त इसके आर्थिक और सामाजिक महत्व भी है।

पारिस्थितिकि तंत्र का बचाव -

राजस्थान मरूभूमि का हिस्सा है, वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। ऐसे में गांवों के आसपास जहां नाडी और तालाब होते हैं, उसके आसपास के क्षेत्रों को ओरण घोषित कर लोक देवी-देवताओं को समर्पित कर दिया। लोगों में उस विशेष भूमि के प्रति श्रद्धा का भाव पैदा कर दिया गया। लोग इस भूमि के वानस्पतिक उद्यान और यहां स्वच्छंद विचरण करने वाले वन्य-जीव के प्रति उदार हो गए, जिसके चलते यह क्षेत्र ग्रामीणों के लिए पूजनीय हो गए। यहां वन कटाई और आखेट स्वेच्छापूर्वक प्रतिबंधित हो गया। आज भी लोग ओरण भूमि को उसी नजर से देखते हैं। लोगों कि भावना और श्रद्धा आज जैव-विविधता को सरंक्षण प्रदान कर रही हैं।

ग्रामीण आत्मनिर्भरता -

ओरण सार्वजनिक भूमि होती है। इसका उपयोग चारागाह के रुप में हमेशा से होता रहा है। ग्रामीण अपने पालतू पशु हमेशा से इस भूमि पर चराते रहे हैं। पशुपालन में ओरण का हमेशा से उपयोग रहा है। एक तरफ चारागाह के रुप में भूमि का उपयोग होता रहा तो दूसरी तरफ इस भूमि पर नाडी और तालाब या कुए और बावड़ी आदि बना देने से जल कि उपलब्धता आसान हो जाती। ऐसे क्षेत्र में जलकुंड बनाये जाने से उसे वर्षा के जल से भरे जाने में समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही आज भी ग्रामीणों कि तरफ से अतिक्रमण जैसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा हैं। पहले के जमाने में इसी आत्मनिर्भरता का ध्यान रखते हुए लोग अपनी बेटी का विवाह दूसरे गॉव में करते समय ओरण भूमि का भी ध्यान रखते थे। गांव में अधिक ओरण भूमि होने का अर्थ यह होता था कि गॉव के लोगों के पास आय के स्त्रोत भरपूर है तथा गॉव में जलापूर्ति के लिए स्त्रोत भी उपलब्ध हैं।

दुर्लभ प्रजातियों का सरंक्षण -

वर्तमान समय में कई पशु-पक्षियों, वन्य-जीव और वानस्पतिक पौधों की प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है। ऐसी विलुप्त होती प्रजाति को ओरण भूमि सहारा दे, इन्हें विलुप्त होने से बचा रही हैं। वानस्पतिक पौधे जो औषधियों में उपयोग होते हैं, वो खेतों में हो रहे कृषि कार्यो और विभिन्न रसायनों के उपयोग से नष्ट हो गए हैं, लेकिन ऐसे औषधीय पौधे ओरण में देखने को मिल जाते हैं। ऐसे पौधों में पौष्टिक कि भरपूर मात्रा होती है, उनके सेवन से कई प्रजाति आज भी ज़िन्दा हैं। दूसरी ओर कृषि भूमि पर हो रही तारबंदी और पक्की दीवारों ने वन्यजीवों का खेतों में विचरण समाप्त कर दिया है, उन्हें ओरण चारागाह और पीने के लिए नाडी और तालाबों से पानी उपलब्ध कराता है।

लघु वन -

मरूभूमि के ग्रामीण आंचल में ओरण में विशाल वृक्ष पीपल, बरगद, आम, नीम और इमली के अलावा केर, बोरड़ी, खेजड़ी, आक, गुंदी, जाल, कुमट, देशी बबूल, सजानो, रोहिड़ा, कंकेड़ी और गूगरिया आदि के पेड़-पौधे पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त देशी घास और औषधियों के झाड़ीनुमा पौधों कि भरमार होती है। घट रहे वनक्षेत्र के लिए यह संरक्षित क्षेत्र ऑक्सीजन का काम करते हैं। इन लघु वन में विलुप्त होती प्रजाति आसानी से अपना शरण स्थल ढूंढ लेती है।

पर्यावरण संतुलन -

वनों के महत्व तो हम सब जानते ही हैं और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी सुना होगा। वैश्विक स्तर पर घट रही वनभूमि ने पर्यावरणविदों कि चिंता को बढा रही हैं। पर्यावरण के जानकार मानते हैं कि इसका संतुलन बिगड़ रहा हैं, जिसके कारण बाढ़, अतिवृष्टि और अनावृष्टि के साथ भूकंप जैसी आपदाएं निरंतर बढ़ रही है। इन्हें रोकने के लिए अधिकतम पेड़ लगाकर पर्यावरण संतुलन स्थापित किया जाना अति आवश्यक है। मरूभूमि में ओरण पर्यावरण संतुलन स्थापित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यह वन्य-जीव और वन्य औषधि और वानस्पतिक पौधों को बचाकर जैव-विविधता को संरक्षण प्रदान कर रहा है।

ओरण भूमि कि विशेष महता है। यह आज भी पशु-पक्षियों और वन्यजीवों के साथ पशुपालन के लिए सहारा बनी हुई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करती हैं और पलायन को रोकती हैं। आधुनिक समय में भी उन वानस्पतिक औषधियों को संरक्षित कर रही है, जिसकी हमे आवश्यकता है। ओरण भूमि पर खेती नहीं होने से यहाँ उपजाऊ भूमि पायी जाती है जो हवा और पानी के साथ बहकर आसपास के खेतों में चली जाती है, जिससे खेती कि उपज को बढावा मिलता है।

ओरण भूमि को खतरा

आज के समय में ओरण के प्रति लोगों कि श्रृद्धा कम किए जाने के कृत्य तेजी से फेल रहे हैं। देवी-देवताओं के प्रति भी आस्था को कमजोर कर जमीन हथियाने के कृत्य जोरों पर है। दूसरी ओर पहले जहां ग्रामीण पगडण्डी के अलावा कोई रास्ता बनाकर वन्यजीवों के स्वच्छंद विचरण में कोई बाधा नहीं बनना चाहते थे वहाँ अब सरकार तीव्र गति कि सड़के बना उनके विचरण में बाधा डाल रही हैं तो कहीं अवैध तरीकों से ओरण भूमि को कृषि जोत में बदला जा रहा है। इससे इसे बचाने का संकट खड़ा हो रहा है। निम्नलिखित खतरे ओरण के सामने खड़े हो रहे हैं -

अवैध कटाई -

लोगों में आस्था कि कमी दिनोदिन बढ़ रही है, जिसके चलते पहले जहां लकड़ी तक उठाना गलत माना जाता था वहाँ आजकल लोग पेड़ तक काटकर ले जाते हैं। अवैध कटाई से वन्यजीव बूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार सड़कों का जाल बिछाते समय ओरण में भी सड़के बना रही है और अवैध खुदाई भी कर रही है, जिससे इस पवित्र देवभूमि के वनों को नुकसान हो रहा है। लकड़ी कि कटाई के बाद नए पेड़ ना रोपना और लकड़ी का घरेलू उपयोग किए जाने से डर कि भावना समाप्त हो रही है, जो इसके संरक्षण में बड़ी बाधा बनी हुई है।

अतिक्रमण -

जहां एकतरफ़ पेड़ों कि कटाई हो रही है वही दूसरी तरफ सरकारी और निजी अतिक्रमण भी इस भूमि पर बढ़ रहा है। अवैध खुदाई और अवैध निर्माण दिनोदिन बढ़ रहा हैं। आजकल सरकार इस भूमि पर जल संरक्षण के लिए बड़े-बड़े प्रोजेक्ट बना रही है। जिससे वाहनों कि आवाजाही बढ़ रही है। शहरो के नजदीक या गांवों के नजदीक ऐसी भूमि पर अस्थायी मकान भी बनाये जा रहे हैं। मानव द्वारा कि जा रहीं इस प्रकार कि क्रिया प्रकृतिक रुप से इनका हुलिया बिगाड़ रही है, जिससे वन्यजीवों के साथ ही वन्य पौधों को नुकसान पहुंच रहा है।

विकास -

आधुनिक युग विकास का युग है, विकास मानव के लिए हो रहा है। मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए किया जा रहा विकास वन्यजीवों और पौधों के लिए घातक साबित हो रहा है। बिजली के उत्पादन आपूर्ति के लिए बनायी जा रही पवन चक्की और ऊंचे खंबे पक्षियों कि जान ले रहे हैं तो निर्माण के लिए पेड़ों कि कटाई और चारागाह कि कमी को उत्पन्न कर रहे हैं। कई बार ऐसी भूमि पर भी अवैध खुदाई चालू कर दी जाती है जिसके लिए किए जाने वाले ब्लास्ट पशु-पक्षियों को छोड़ कर भागने के लिए मजबूर कर रही हैं।

य़ह स्थानीय अरण्य स्थल वर्तमान समय में आखेट स्थलों में परिवर्तित हो रहे हैं। यह आखेट किसी तीर, भाले, गोली या अन्य हथियारों से नहीं खेला जा रहा है बल्कि यह आखेट भावनाओ से किया जा रहा है। मनुष्य को इस पवित्र देव भूमि के प्रति आस्थाहीन कर दिया है। मनुष्य में ना पौधों के लिए आस्था बची है और ना ही वन्यजीवों के लिए। मनुष्य विकास और उत्पादन के नाम पर हो कार्य कर रहा है, वो ओरण का विनाश करने के लिए काफी है। यह काम भले विकास के नाम पर ही क्यों ना हो रहे हों लेकिन ओरण और इसके शरणार्थियों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। कई जिलों से वर्तमान में ओरण के महत्व को समझकर इसे बचाने के लिए लोगों के प्रयास सामने आए हैं। लोग इस पवित्र भूमि को बचाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सरकार भी पशु-पक्षियों कि बिजली के तारो में उलझकर मृत्यु ना हो इसकी योजना बना रही है। अवैध अतिक्रमण और खनन को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान समेत पूरे भारत में सरकार द्वारा आखेट को प्रतिबंधित किया हुआ है। सरकार स्थानीय लोगों और निकायों के साथ मिल कर इस क्षेत्र में वृक्षारोपण के कार्य भी करवा रही है।

ओरण बचाओ आंदोलन -

राजस्थान हाई कोर्ट के ओरण भूमि और गोचर को डीम्ड फॉरेस्ट में बदलने के आदेश के बाद राज्य सरकार नें आदेश की पालना के लिए भूमि के प्रयोग को बदलने के मानस से विज्ञप्ति जारी कर दी। जिसके बाद 15 लाख बीघा देव भूमि के डीम्ड फॉरेस्ट घोषित किए जाने की चिंता साफ पर्यावरणप्रेमियो के चेहरे पर साफ झलक रही हैं। सरकार के आदेश के बाद लोग ओरण को बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए। जैसलमेर और नागौर में लोगों ने रैली निकाल विभिन्न अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में ही कई ओरण विद्यमान है इनमें से भादरियाराय ओरण, देगराय ओरण, आशापुरा ओरण देवीकोट, श्रीपाबूजी ओरण, मालणबाई ओरण, कालेडूंगरराय ओरण, पन्नोधराय ओरण, आईनाथजी ओरण, हड़बूजी ओरण, नागणेची ओरण, नागाणाराय ओरण, जियादेसर ओरण, सोहड़ाजी ओरण, डूंगरपुरजी ओरण, बिकनसी जी ओरण, भोपों की ओरण, पाबूजी ओरण करियाप मुख्य है। इनके अलावा जिले के हर क्षेत्र में ओरण मौजूद है। सोनू गांव में स्थित योद्धा बिकनसी जी भाटी के 13वी सदी के ओरण में स्थित मन्दिर में उनके पालतू कुत्ते व घोड़े के पूजनीय स्मारक मौजूद है, मोकला गांव में स्थित योद्धा डुंगरपीर जी का ओरण, जैसलमेर की स्थापना के कुछ समय बाद से मौजूद है और जानरा गांव में स्थित मालण बाई जी का ओरण जैसलमेर की स्थापना से भी पुराना है।

यहां 100 से ज्यादा ओरण, पेड़ काटने व खेती करने पर प्रतिबंध: पिछले कुछ महीनों से इंटेक नई दिल्ली, जोधपुर व जैसलमेर अध्यायों द्वारा जैसलमेर में सामुदायिक पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्था ईआरडीएस फॉउंडेशन संस्था के साथ मिलकर जैसलमेर के प्राचीन ओरणों का सर्वे व पहचान का कार्य जैसलमेर के पर्यावरण प्रेमी पार्थ जगाणी व अमिताभ बालोच द्वारा करवाया जा रहा है। पहले चरण में 35

ओरण चिह्नित किए गए हैं। ये सभी ओरण 500 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कई जगहों पर 700 से 800 साल पुराने विशाल वृक्ष भी मौजूद है। जानकारों के अनुसार यहां 100 से भी ज्यादा ओरण थे। लोकजीवन में प्रचलित मान्यताओं में इन ओरणों में पेड़ काटने और खेती करने पर प्रतिबंध रहा है।

अकाल पड़ने पर पेड़ों की छाल, देसी फल खाकर लोग जिंदा रहते थे: इस प्रकार से सुरक्षित यह ओरण सदियों से अपने आसपास के गांवों को मौसमी बेर, कैर, सांगरी, कुंभट जैसे देसी फलों, शहद, गोंद, पत्तियों, छाल, जड़ी-बूटियों, चारा, घास इत्यादि की उपलब्धता को सुनिश्चित करने का काम करते रहे हैं। इन ओरणों के होने के कारण यहां पर प्राचीन समय में लोग, कई-कई वर्षों तक पड़ने वाले अकालों में भी पेड़ों की छाल और जंगली घासों के बीज खाकर जिंदा रहते थे। अधिकांश ओरणों के देवस्थानों से जुड़े होने के कारण, रियासतकाल में इनमें वन्यजीवों का शिकार भी प्रतिबंधित था, इस कारण आज भी कुछ ओरणों में गोडावण, चिंकारा और प्रवासी पक्षियों की आवाजाही बनी रहती है।

इको पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है : पर्यावरण से जुड़े लोग मानते हैं कि जैसलमेर के यह प्राचीन ओरण महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण धरोहर है जिन्हें उनके सुझाव पर सर्वे कर भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना और इन्हें नेचर हेरिटेज के रूप में मान्यता दिलवाकर ईको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, आर. सी., *राजस्थान की लोक-परंपराएँ और पर्यावरण संरक्षण,* जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2015
2. जोशी, एल. एन., *मरुस्थलीय संस्कृति और जैव-विविधता,* जोधपुर: अरिड ज़ोन रिसर्च पब्लिकेशन्स, 2012
3. सिंह, मोहन, *राजस्थान में देवभूमि, गोचर और ओरण परंपरा,* बीकानेर: मरु प्रकाशन, 2018
4. डूकिया, सतीश, "राजस्थान के ओरण: पवित्र उपवन एवं जैव विविधता संरक्षण" *मरु अध्ययन,* vol. 9, no. 2, 2016, pp. 45–58
5. सिंह, अर्जुन, "ओरण भूमि: पारंपरिक सामुदायिक संरक्षण प्रणाली" *भारतीय लोक संस्कृति शोध पत्रिका,* vol. 14, no. 1, 2019, pp. 77–90
6. "जैसलमेर में ओरण बचाओ आंदोलन: ग्रामीणों की 225 किमी पदयात्रा." *दैनिक भास्कर,* 15 दिसंबर 2022, पृ. 6
7. "ओरण-गोचर भूमि आंदोलन की सफलता: प्रशासन ने दर्ज की भूमि." *नवभारत टाइम्स,* 23 अक्टूबर 2025, पृ. 4
8. "ओरण भूमि पर अतिक्रमण और संरक्षण की चुनौती." *राजस्थान पत्रिका,* 10 जून 2024, पृ. 9